



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269322
CG-DL-E-13012026-269322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 163]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 53/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत लो ऐश मेटालर्जिकल कोक की आयात नीति एवं नीतिगत शर्त में संशोधन - के संबंध में।

का.आ. 173(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत लो ऐश मेटालर्जिकल कोक की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

1. अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 08 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

क) "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक (एचएस कोड 27040020, 27040030, 27040040, 27040090) जिसमें ऐश की मात्रा 18% से कम हो, जिसमें कोक फाइन्स/कोक ब्रीज़ और अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल

हैं, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.030% तक हो और साइज़ 30 एमएम तक हो, जिसमें फेरोअलॉय बनाने में उपयोग करने के लिए 5% साइज़ टॉलरेंस हो" का आयात 01.01.2026 से 30.06.2026 तक "प्रतिबंधित" रहेगा।

ख) उपर्युक्त आइटीएस (एचएस) कोड के अन्तर्गत अन्य निर्यात, जिसमें ज़्यादा राख वाला मेटालर्जिकल कोक शामिल है, अर्थात् जिसमें राख की मात्रा 18% से ज़्यादा है, वह "प्रतिबंध" के दायरे से बाहर है और 'मुक्त' रहेगा।

2. निम्नलिखित आइटीएस (एचएस) कोड के लिए आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
27040020	लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक	मुक्त	"18% से कम ऐश की मात्रा वाले लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, जिसमें कोक फाइन्स/कोक ब्रीज़ शामिल नहीं हैं, और 0.030% तक फॉस्फोरस की मात्रा वाले अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक, जिसका साइज़ 30 एमएम तक हो और 5% साइज़ टॉलरेंस हो, जिसका उपयोग फेरोअलॉय बनाने में होता है," का निर्यात "प्रतिबंधित" रहेगा। "आयात" इस अध्याय की नीतिगत शर्त 8 के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। दिए गए आइटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत अन्य निर्यात 'मुक्त' रहेंगे।	प्रतिबंधित	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 08 के अधीन।
27040030	कोयले का हार्ड कोक				
27040040	कोयले का सॉफ्ट कोक				
27040090	अन्य				

इस अधिसूचना का प्रभाव:

कम राख वाले मेटालर्जिकल कोक (जिसमें राख की मात्रा 18% से कम हो), जिसमें कोक फाइन/कोक ब्रीज़ और अल्ट्रा-लो फास्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल हैं, जो आइटीसी (एचएस) कोड 27040020, 27040030, 27040040 और 27040090 के अंतर्गत आते हैं, उनका आयात 01.01.2026 से 30.06.2026 तक "प्रतिबंधित" रहेगा और इसकी अनुमति केवल अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 08 के अनुसार ही दी जाएगी, जबकि 18% से अधिक राख वाले मेटालर्जिकल कोक और उक्त आइटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत अन्य आयात "मुक्त" रहेंगे।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/23, एएम-23, पीसी-2[क]/ई-38692]

लव अग्रवाल, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 53/2025-26

Subject: Amendment in Import Policy & Policy Condition of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) – regarding.

S.O. 173(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy), as under:

1. Policy Condition No. 08 of Chapter 27 is introduced as under:
 - a) Import of “Low Ash Metallurgical Coke (HS Codes 27040020, 27040030, 27040040, 27040090) having ash content below 18%, including coke fines / coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing” shall be “Restricted” from 01.01.2026 till 30.06.2026.
 - b) Other imports under above ITC (HS) codes including metallurgical Coke with high ash content, that is, ash content above 18% is outside the scope of “Restriction” and shall be ‘Free’.
2. The Import Policy for the following ITC (HS) Code is amended as under:

ITC (HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Policy Condition
27040020	Coke and semi-coke of lignite or of peat	Free	Import of “Low Ash Metallurgical Coke having ash content below 18%, excluding coke fines / coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing” shall be “Restricted”. Import shall be permitted subject to Policy Condition 8 of this Chapter. Other Imports under given ITC (HS) code shall be ‘Free’.	Restricted	Subject to Policy Condition No. 08 of this Chapter.
27040030	Hard coke of coal				
27040040	Soft coke of coal				
27040090	Other				

Effect of this Notification:

Import of Low Ash Metallurgical Coke (having ash content below 18%), including coke fines/coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke, falling under ITC (HS) Codes 27040020, 27040030, 27040040 and 27040090, is “Restricted” from 01.01.2026 till 30.06.2026 and shall be permitted only in accordance with Policy Condition No. 08 of Chapter 27, while imports of metallurgical coke with ash content above 18% and other imports under the said ITC (HS) codes shall continue to remain “Free”.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/23/AM-23/PC-2[A]/E-38692]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.